



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9552

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 275 सन् 2026

विकास यादव

...याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और 2 अन्य

...प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता :	मनीष मणि, विनय कुमार मिश्रा
प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता :	ए.एस.जी.आई., ध्रुवकांत चतुर्वेदी

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विनय कुमार मिश्रा और प्रत्यर्थागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवकांत चतुर्वेदी की दलीलें सुनीं।
- यद्यपि याचिकाकर्ता की प्रार्थना प्रत्यर्था संख्या 3 को अग्नि वीर (जी.डी.) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति देने के लिए है, लेकिन श्री चतुर्वेदी ने इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.12.2025 का कारण बताओ नोटिस और दिनांक 01.01.2026 का दूसरा अंतिम कारण बताओ नोटिस प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के संबंध में अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उत्तर कारण बताओ नोटिस के जवाब में प्रस्तुत किया जाएगा।
- तदनुसार, याचिकाकर्ता की याचिका का निस्तारण इस शर्त के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता को 24.12.2025 और 01.01.2026 तक कारण बताओ नोटिस का जवाब देने का अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अवसर दिया जाए और यदि जवाब प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके बाद दो महीने की अवधि के भीतर आदेश पारित किया जाए।

4. आज दाखिल किए गए कारण बताओ नोटिस और दूसरे एवं अंतिम कारण बताओ नोटिस की प्रतियां अभिलेख में ले ली गई हैं और इन्हें परिशिष्ट 'ए' और 'बी' के रूप में चिह्नित किया गया है।

5. कारण बताओ नोटिस की एक प्रति याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को तामील कराई जाए।

14 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)